न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 44/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर	1	गणपत टाक पुत्र ओंकार सिंह जाति माली निवासी टांको का बास राबाउमावि के पास मगरा पूंजला जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः
1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री राज करण बारहठ प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2 अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रतनलाल उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 23.07.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी गणपत टाक पुत्र ओंकार सिंह निवासी टांको का बास, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास, मगरा पूंजला,जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों, 1 इलेक्ट्रोनिक कांटा और दो रिफलिंग मशीन मय नोजल मय पाईप को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.01.2025 को पुलिस थाना अधिकारी माता का थान की सूचना पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी के मौखिक निर्देशन पर प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा टांको का बास, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास, मगरा पूंजला,जोधपुर स्थित स्थान की आकस्मिक जांच की गई, मौके पर गणपत टाक पुत्र ओंकार सिंह अवैध रूप से घरेलु गैस सिलेण्डरों से गैस रिफलिंग करते हुए पाया गया, मौकास्थल से कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा एंव 02 रिफलिंग मशीन मय पाइप मय नोजल पाये गये।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

मौके पर पाये गये कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	खाली सिलेण्डर का वजन	कुल वजन मय गैस	गैस का वजन (किलो में)
1.	एच.पी.सी.एल	19641	15.6 कि.ग्रा.	15.6 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
2.	एच.पी.सी.एल	81034 s	15.6 कि.ग्रा.	15.6 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
3.	एच.पी.सी.एल	8030133T	15.5 कि.ग्रा.	15.5 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
4.	एच.पी.सी.एल	319602T	15.7 कि.ग्रा.	15.7 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
5.	भारत	799389S	16.0 कि.ग्रा.	30.0 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.

उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा रिफलिंग सामग्री को जब्त सरकार किया जाकर श्री हनुमानराम पुत्र सहीराम जाति विश्नोई निवासी निवासी उम्मेदनगर जोधपुर प्रतिनिधी मारवाड गैस एजेन्सी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व अवैध रिफलिंग में उपयोग किया जाना पाया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 02 रिफलिंग मशीन मय पाइप मय नोजल एंव 01 इलेक्ट्रोनिक कांटे को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री राज करण बारहठ प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों(04 एचपी,01भारत) का बिना वैध दस्तावेज के अवैध भण्डारण कर अवैध रूप से गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग लिए जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डर व गैस रिफलिंग सामग्री को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रतनलाल द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि अप्रार्थी विवाह समारोह में उपयोग में लिये गये गैस सिलेण्डरों में बची हुई गैस को दूसरे सिलेण्डर में ट्रांसफर कर घरेलु उपयोग में लेने हेतु तैयार कर रहा था। अप्रार्थी अवैध गैस रिफलिंग का व्यवसाय नहीं करता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण खारिज किया जावे।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

हमने विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों पर मनन करते हुए प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार स्पष्ट है कि वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी गणपत टाक पुत्र ओंकार सिंह द्वारा उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों का बिना वैद्य दस्तावेजों के अवैध भण्डारण कर 02 रिफलिंग मोटर मय पाइप मय नोजल एंव 01 इलेक्ट्रोनिक कांटे का उपयोग अवैध

गैस रिफलिंग कार्य में किया गया है, अप्रार्थी द्वारा कार्यालय में उक्त सिलेण्डरों से संबधित किसी प्रकार के कनैक्शन दस्तावेज एवं उल्लेखित विवाह समारोह के संबध में कोई निमंत्रण पत्र इत्यादि वास्ते सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा आबादी क्षेत्र/रहवासी क्षेत्र में गैस रिफलिंग सामग्री का उपयोग कर अन्य सिलेण्डर में अवैध गैस रिफलिंग करते हुए जनसामान्य के जीवन को भी खतरा उत्पन्न किया है। अप्रार्थी के कब्जे से वक्त जांच अवैध रूप से भण्डारित 05 घरेलु सिलेण्डर एंव रिफलिंग सामग्री 02 रिफलिंग मोटर मय पाईप मय नोजल व 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा जब्त किया गया, स्पष्टतः अप्रार्थी द्वारा जब्तसूदा सिलेण्डरों व रिफलिंग सामग्री का उपयोग कर अवैध गैस रिफलिंग का कृत्य किया गया है जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डर (04 एचपी, 01 भारत) तथा 01 इलेक्ट्रोनिक कांटे एंव 02 रिफलिंग मशीन मय पाइप मय नोजल को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्तसुदा कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर